अधिकारी वन संरक्षण,

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक–1506/12–1, कोटबंगला, दिनांक– 21/10/2024

सेवा में,

वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.4385 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/40975/2019)**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/124/2021/एफ0सी0/492, दिनांक– 13.07.2023, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक– 567/12–1, दिनांक– 02.09.2024 एवं पत्रांक– 164/, दिनांक– 25.07.2023 तथा आपका कार्यालय पत्रांक– 2633/12–1, दिनांक– 26.06.2024, पत्रांक– 649/12–1, दिनांक– 30.09.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा विषयगत मोटर मार्ग में 03 बिन्दुओं की आख्या चाही गई थी, जिसकी अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र– 1491/03 एल0ए0, दिनांक– 04.10.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्नवत है–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1.	बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में आपके द्वारा प्रस्तावित ग्राम पुजारगांव की निकटस्थ मोटर मार्ग से दूरी 1.20 किमी0 दर्शायी गयी है। कृपया उक्त से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करायें।	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा निकटस्थ मोटर से पैदल दूरी का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2.	बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि Existing Road network को बैंगनी रंग से KML File में दर्शाया गया है, जबकि परिवेश पोर्टल के भाग–01 में मोटर मार्ग की KML File में प्रस्तावित मोटर मार्ग के इतर कोई भी सूचना नहीं दर्शायी गयी है। कृपया संशोधित KML File अपलोड करें।	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग–01 में विषयगत मोटर मार्ग की संशोधित KML File अपलोड कर दी गई है, जिसमें प्रस्तावित संरेखण, वैकल्पिक संरेखण तथा मौजूदा संरेखण को भिन्न रंगों से दर्शाया गया है।
3.	बिन्दु संख्या– 03 के अनुपालन में प्रस्तावित वैकल्पिक संरेखण के सर्वोत्तम वैकल्पिक संरेखण होने के सम्बन्ध में औचित्य/विशिष्ट टिप्पणी उपलब्ध करायी जाने की अपेक्षा की गई है, जो उपलब्ध नहीं कराई गई है।	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण एक मात्र संरेखण है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण नहीं है। इसमें कम से कम वन भूमि एवं वृक्ष प्रभावित हो रहे। यदि अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाता है तो अधिक वन भूमि प्रभावित होगी।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 1506/12–1/तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि – प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

O/C